

80 / 16

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 148 / प्र0अ0-भवन / जोन-2 / 2011-12 दिनांक 22 / 05 / 2012

### अनुमति-पत्र


यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु सर्व्व यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय विकास या इधका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अस्तर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति जिले के मिल्किट या रजिस्ट्रार के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रयास न करेगी।

श्री परमजीत सिंह व श्रीमती राजेन्द्र कोर स्थल भवन संख्या 32/31 जीरो रोड, इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक व्यवसायिक भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-



1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उ0प्र0/अ0प्र0म किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या 2.1.6 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अन्तर्गत (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी, निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C को जहाँ जहाँ करने के पश्चात्, निर्माण किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर नानियत स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर 4X3 फीट का एक बेल्ट लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 02 गूँथ लगाने होंगे तथा गूँथों को हल-नास रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
6. स्थल पर निर्माण कराते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि नगर नियम द्वारा प्रदत्त अवस्थापना सुविधा मुख्यतः नाली एवं राइल पटरी इत्यादि की क्षति न होने पाये, अथवा उत्तरे मू स्थानों को अपने हर्जे-हर्जे से नष्ट निर्माण करना होगा।
7. भवन के जल निष्कासनी की संवत्त व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। निर्माण के पश्चात् मलब/गिट्टी सड़क से हटाना निर्माणकर्ता की जिम्मेवारी होगी।
8. गार्डिन की पार्किंग निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही किया जाना अनिवार्य होगा।
9. प्राथमिक मानचित्र बेसमेन्ट में स्टीर, स्टेल्ड पर पार्किंग, अन्य वातण्ड पर व्यवसायिक होल तथा प्रथम एवं द्वितीय तल पर आवासीय निर्माण की अनुमति हेतु है। स्थल का उपयोग/अ0प्र0म भी उक्तानुसार करना अनिवार्य होगा।
10. स्थल पर रेनवाटर इवेंटिंग प्रणाली मानक के अनुसार विकसित कर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही जमा एफ0सी0आर0 वापस की जायेगी।
11. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
12. यह स्वीकृत पत्र केवल ग्रैंड वर्क की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डों का लम्-विभाजक अथवा पार्स एवं रोड इत्यादि का अतिरिक्त विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो उ0प्र0/अ0प्र0म द्वारा निर्मानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
13. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा राइल या नाली के किसी भाग (जो मकान के आगे है गिट्टाडै अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को क्षति पहुँचे तो मूहरयमी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना दिए और जीए कहा तो पहले ही उसके अपने खर्चे से मरम्मत करकर पूर्ववत् अवस्था तिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
14. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंजिडयन इलेक्ट्रि सिटी एक्ट 1956) विधन 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
15. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आग्राह होने से पूर्व देना होगा तथा उस अवधि का नाम भी देना होगा जिसके निरोक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
16. यदि निर्माण में मूहर ज्ञान का उल्लंघन होता गया तो निर्माणकर्ता को दो नई स्वीकृति तब समझी जायेगी और किना गया निर्माण अनाधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 21 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

9415248892

(सिना सिंह)  
संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
इलाहाबाद



1. 100% का प्रमाणित नक्शा।  
 2. 100% का प्रमाणित नक्शा।  
 3. 100% का प्रमाणित नक्शा।  
 4. 100% का प्रमाणित नक्शा।  
 5. 100% का प्रमाणित नक्शा।  
 6. 100% का प्रमाणित नक्शा।  
 7. 100% का प्रमाणित नक्शा।  
 8. 100% का प्रमाणित नक्शा।  
 9. 100% का प्रमाणित नक्शा।  
 10. 100% का प्रमाणित नक्शा।  
 11. 100% का प्रमाणित नक्शा।



AREA CHART

| S.N. | REFERENCE                             | SQ. MT.       | %      |
|------|---------------------------------------|---------------|--------|
| 1.   | TOTAL AREA OF PLOT                    | 546.77 Sq.Mt. | 100%   |
| 2.   | LAUNDRY FOR L/W                       | 2.14 Sq.Mt.   | 0.39%  |
| 3.   | NET PLOT AREA                         | 542.65 Sq.Mt. | 99.24% |
| 4.   | BASEMENT FLOOR AREA (STORE)           | 171.77 Sq.Mt. | 31.64% |
| 5.   | COVERED AREA ON STILL FLOOR (Parking) | 173.53 Sq.Mt. | 31.98% |
| 6.   | COVERED AREA ON GROUND FLOOR          | 173.53 Sq.Mt. | 31.98% |
| 7.   | COVERED AREA ON FIRST FLOOR           | 173.53 Sq.Mt. | 31.98% |
| 8.   | COVERED AREA ON SECOND FLOOR          | 173.53 Sq.Mt. | 31.98% |
| 9.   | TOTAL COVERED AREA OF ALL FLOOR       | 520.09 Sq.Mt. | 95.84% |
| 10.  | P. A. R.                              | 1.49%         | 0.27%  |

PROPOSED COMMERCIAL/RESIDENTIAL BUILDING ON  
 PLAN OF HOUSE NO. 22/1 ZERO ROAD K.P. KAKKAR ROAD  
 ALLAHABAD  
 BELONGING TO,  
 SRI PARAMJEET SINGH SU LITE JOGINDER SINGH &  
 SMT. BAJENDRA KAUR W/O SRI PARAMJEET SINGH  
 ARCHITECT SIGN  
 ANIL K. GUPTA  
 B. Sc., D. ARCHT.  
 ARCHITECT  
 Regt. No. CA8912467  
 OWNER SIGN  
 AAKRITI  
 architects & engineers  
 k-1 prityag kirti, stretchy road  
 allahabad ph. 2266773  
 SCALE 1:100  
 THIS MAP IS PREPARED AS PER BHAVAN  
 UPVITHAN 2008 & MASTER PLAN-2011  
 REG. INSD. PARKING AREA  
 100% Covered Area @ 3 sq. Car space / 100 sq.mt  
 Covered Area = 173.53 x 2 = 347.06 sq. Car space  
 100  
 First and Second floor (net)  
 173.53 Sq.Mt. x 2 Floor x 1.5 per Floor = 520.09  
 Total No. of Cars = 520 / 3.0 = 173.33 Cars (say 173 Cars)  
 PROVIDED CAR PARKING  
 173.53 x 2 = 347.06  
 11 MUMBY & MACHINE ROOM AREA 27.22 Sq.Mt.